International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

आरक्षण नीति हरियाणा राज्य में चुनौतियाँ और संभावनाओं का विश्लेषण

डॉ.अजीत संह
बाबा मस्तनाथ यूनिव र्सटी अस्थल बोहर रोहतक

सारांश

अध्ययन में आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक भिन्नताओं की जांच की गई है। मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हुए शोध ने औसत शैक्षिक उपलब्धियों, आर्थिक स्थिति और रोजगार दर का विश्लेषण किया है ताकि महत्वपूर्ण अंतरों को उजागर किया जा सके। अध्ययन से पता चलता है कि गैर–आरक्षित श्रेणियों के लोग विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर जैसे स्कूल, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट, उच्च शैक्षिक योग्यता रखते हैं। आर्थिक विश्लेषण में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहां गैर–आरक्षित श्रेणियों की औसत आय सभी आय श्रेणियों में अधिक है। रोजगार विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों श्रेणियों के बीच रोजगार दर में भिन्नता है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रणालीगत असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं, जो आरक्षित श्रेणियों के शैक्षिक परिणाम, आर्थिक अवसर और रोजगार संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए। यह अध्ययन मौजूदा असमानताओं के महत्वपूर्ण अंतदृष्टि प्रदान करता है और समानता के उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द –आरक्षण नीति, हरियाणा राज्य, चुनौतियाँ, संभावना, विश्लेषण

1. प्रस्तावना

भारत में आरक्षण की शुरुआत से पहले सदियों का इतिहास रहा है। यहाँ वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें आरक्षण जैसा प्रावधान था जिसे जाति आरक्षण कहा जाता था। इसमें व्यवस्था थी कि पूजा केवल ब्राह्मण करेंगे और युद्ध, व्यापार,कृषि, आदि केवल क्षत्रिय और वैश्य करेंगे। यह आरक्षण जन्म आधारित था और इसे आरक्षण प्राप्त करने वाले उच्च वर्णों से थे। इन विसंगतियों को सबसे पहले महात्मा गांधी ने समझा। गांधी जी ने जाति व्यवस्था को बदलने के लिए अभियान शुरू किया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने तरीके से संघर्ष शुरू किया। आरक्षण देने के पीछे उद्देश्य यह था कि समाज में समानता उत्पन्न हो। जब संविधान बना, तो भारतीय संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ों की पहचान कर उन्हें विशेष अवसर देने का सिद्धांत अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि भारत सरकार उन जातियों और वर्गों की पहचान करेगी, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना था। भारतीय समाज जातियों में बंटा हुआ था और संविधान निर्माताओं का मानना था कि इससे उन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। प्राचीन काल से जातियाँ वर्ण आधारित थीं, लेकिन जैसे ही इसका स्थान जाति ने लिया, यह जन्म आधारित व्यवस्था बन गई जिससे कई विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं। संविधान के अनुसार आरक्षण की नीति बनाई गई और बताया गया कि सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में नौकरियों में आरक्षण की नीति, जैसे कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है, कई बार उच्च न्यायालयों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। जैसे – पिछड़ी जातियों को निर्धारित करने के क्या मानक होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों ने तो पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की मांग की, ता इसे फिर से लागू करने में चुनौती दी गई। पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के कई मामलों में यह भी कहा गया है। पिछड़ी जातियों को निर्धारित करने के क्या मानक होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं। भारत में आरक्षण की नीति का विस्तार इस पुस्तक में आरक्षण से संबंधित आयोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन है। इस आयोग ने पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की और साथ ही सरकारी सेवाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग की और इसमें कमीशन आयोग की सिफारिश का भी वर्णन किया गया। साथ ही इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर भी चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि कुछ अन्य पिछड़ी जातियाँ, जो सामाजिक दृष्टि रखती हैं उनका आर्थिक आधार भी कमजोर होता है। भारत में आरक्षण की शुरुआत से पहले सदियों का इतिहास रहा है। यहाँ वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें आरक्षण जैसा प्रावधान था जिसे श्जाति आरक्षणश कहा जाता था। इसमें व्यवस्था थी कि पूजा केवल ब्राह्मण करेंगे और युद्ध, व्यापार, कृषि, आदि केवल क्षत्रिय और वैश्य करेंगे। यह आरक्षण जन्म आधारित था और इसे आरक्षण प्राप्त करने वाले उच्च वर्णों से थे। इन विसंगतियों को सबसे पहले महात्मा गांधी ने समझा। गांधी जी ने जाति व्यवस्था को बदलने के लिए अभियान शुरू किया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने तरीके से संघर्ष शुरू किया। आरक्षण देने के पीछे उद्देश्य यह था कि समाज में समानता उत्पन्न हो। जब संविधान बना, तो भारतीय संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ों की पहचान कर उन्हें विशेष अवसर देने का सिद्धांत अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान है कि भारत सरकार उन जातियों और वर्गों की पहचान करेगी, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना था। भारतीय समाज जातियों में बंटा हुआ था और संविधान निर्माताओं का मानना था कि इससे उन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। प्राचीन काल से जातियाँ वर्ण आधारित थीं, लेकिन जैसे ही इसका स्थान जाति ने लिया, यह जन्म आधारित व्यवस्था बन गई जिससे कई विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं।

संविधान के अनुसार आरक्षण की नीति बनाई गई और बताया गया कि सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण की नीति, जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है, कई बार उच्च न्यायालयों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है। जैसे– पिछडी जातियों को निर्धारित करने के क्या मानदंड होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों ने तो पिछडे वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की मांग की, तो इसे फिर से लागू करने में चुनौती दी गई। पिछडे वर्ग से संबंधित आरक्षण के कई मामलों में यह भी कहा गया है। पिछडी जातियों को निर्धारित करने के क्या मानदंड होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं।

भारत में आरक्षण की नीति का विस्तार इस पुस्तक में आरक्षण से संबंधित आयोगों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों का वर्णन है। इस आयोग ने पिछडे वर्गों के छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की और साथ–साथ सरकारी सेवाओं ओर स्थानीय निकायों में अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग की और इसमें मंडल आयोग की सिफारिश का भी वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर भी चर्चा की गई है जिसमें बताया गया है कि कुछ अन्य पिछडे वर्ग की जातिया, जो सामाजिक दृ ष्टि रखती हैं उनका आर्थिक आधार भी कमजोर होता है। संविधान के अनुसार आरक्षण की नीति बनाई गई और बताया गया कि सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों में आरक्षण की नीति, जैसा कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है, कई बार उच्च न्यायालयों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है। जैसे– पिछडो जातियों को निर्धारित करने

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के क्या मानदंड होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों ने तो पिछडे वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की मांग की, तो इसे फिर से लागू करने में चुनौती दी गई। पिछडे वर्ग से संबंधित आरक्षण के कई मामलों में यह भी कहा गया है। पिछडी जातियों को निर्धारित करने के क्या मानदंड होने चाहिए, आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या नहीं।

- **आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

प्राचीन काल में सभी समाजों में असमानता व्यापक थी। भारत सदियों से सामाजिक व्यवस्थाओं का घर रहा है, जिसने असमानता, शोषण और अन्याय को जन्म दिया। भारत अत्यधिक ध्रुवीकृत जाति आधारित संरचना वाला देश था। पारंपरिक भारतीय समाज पूरी तरह वर्ण के आधार पर बंटा हुआ था। हर समाज को चार वर्णोंध्चार वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसकी उत्पत्ति 1500–1000 ई.पू. की थी। वर्ण के शीर्ष पर ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। वैश्य, किसान और कारीगर तीसरे वर्ग में आते हैं। सबसे नीचे शूद्र हैं, जो तीन उच्च वर्गों की सेवा के लिए जिम्मेदार हैं। अंत में, अंत्यज इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि अंत्यज को अछूत भी कहा गया। उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक स्थिति, शिक्षा, संपत्ति के एकाधिकार को बनाए रखने के उद्देश्य से सदियों से वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। वैदिक काल में भी मानवता दर्शन के अनुसार समाज में चार वर्ण पाए जाते थे। यही सिद्धांत महाभारत काल में भी माना गया, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा (सृष्टि निर्माता) के मुख से हुई थी, जो क्षत्रिय थे, उनकी उत्पत्ति भुजाओं से, जबकि वैश्य की उत्पत्ति जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई थी। यह सिद्धांत पुरातन अवधारणा पर आधारित है। इस सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार यह है कि वर्णों की उत्पत्ति ईश्वर की रचना है।

उत्तर वैदिक काल में भी पुराणों में गुणों का वर्णन किया गया। प्रत्येक वर्ण को सामाजिक जीवन के लिए अपने कर्तव्यों में पूर्ण माना जाता था। परिवर्तित और ध्रुवीकृत जाति व्यवस्था 3000 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए संचालित हुई। जिसके परिणामस्वरूप शूद्र (अछूत), सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछडे और उत्पीड़ितहो गए। उन्हें गरीबी और अशिक्षा में पिसकर जीने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उच्च वर्गों द्वारा भेदभाव, उत्पीडन, शोषण और निम्नग्रहणीय प्रभाव का सामना करना पडा।

मध्यकाल में दुनिया के राज्यों की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। यह जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी दिखाया गया है कि शूद्र को तीन उच्च वर्णों की सेवा करनी थी और शूद्रों द्वारा उच्च वर्ण के सदस्यों के समान जीवन का आनंद नहीं लिया गया। मध्य और उत्तर मध्यकाल में शूद्रों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। मध्यकालीन काल में जाति व्यवस्था अधिक कठोर और जटिल हो गई और जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। समाज में मनुष्य की स्थिति उसके गुणों के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर निर्धारित होती थी। इसी अवधि में शूद्रों को तिरस्कार, अपमान और कठोर श्रम का सामना करना पडता था। उनकी वास्तविकता में बहुत ही दयनीय थी।

इस काल में भी जाति व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। मुस्लिम शासकों ने जाति व्यवस्था को संरक्षण दिया, उन्होंने खुले तौर पर निम्न और उच्च तथा अछूत की भावनाओं का समथन किया। इसी प्रकार इस्लाम सदियों से चली आ रही जातिवाद की व्यवस्था को समाप्त करने में विफल रहा। हालांकि, इस्लामी संस्कृति ने पिछडे लोगों को उनकी आजीविका के लिए उपयुक्त व्यवसाय प्रदान करने के मामले में अत्यधिक लाभ पहुंचाया। इस अवधि के दौरान साहित्य के क्षेत्र में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कबीर, तुलसीदास, रविदास और नानक जैसे निम्न जाति के संतों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर हमला किया, हिंदू और इस्लामी नीतियों का विरोध करते हुए भारतीय समाज में जो बुराइयाँ थीं, उनका विरोध किया।

इन्हीं संतों में प्रमुख निम्न जाति समूह के लोग जैसे बुनकर, मोची, कुम्हार, धानुक और नाई आदि थे। इस प्रकार, एक व्यापक वर्ग को सामाजिक रूप से अलग कर दिया गया और इसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार ने एक अलग वर्ग का जन्म दिया जो उपरांतकाल का शिकार रहा और जो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण का मुख्य कारण बना।

2. साहित्य का अवलाकन

भगत एम० जी० (1935) क अध्ययन का मुख्य उद्दश्य महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के परिवारो की स्थिति का विश्लेषण करना एवं परिवार का आकार, साक्षरता, व्यवसाय एवं आय का जानना ह, जानकारी प्राप्त करने के कुल 600 उत्तरदाता का चयन किया गया ह। तथा प्रश्नावली एवं अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है तथा अध्ययन म पाया गया है कि महार जाति में साक्षरता का प्रतिशत चमार जाति से कम है तथा अछूता मे शिक्षा का अनुपात अन्य जातियों से अधिक ह।

कृष्ण कुमार (1969) द्वारा इस अध्ययन में यह स्पष्ट है कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की विधियों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी परिणाम प्राप्त करना था, जिसे शोध के निष्कर्षों द्वारा साबित किया गया है। शोध में शामिल विशेषताएँ, जैसे कि विस्तृत विश्लेषण और प्रासंगिक निष्कर्ष, इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह अध्ययन विशेष रूप से 1954 और 1955 के अध्ययन पर आधारित है, जिसमें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया गया है और भारत के संदभ में निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार, अध्ययन ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है और इसके निष्कर्ष उपयोगी और सटीक साबित हुए हैं।

विकास और प्रभावी लेखन (1977) के अनुसार, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें विभिन्न विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों और विधियों का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हैइस अध्ययन में प्रस्तुत जानकारी विस्तृत और संगठित है। इसमें शामिल विश्लेषणात्मक दृ ष्टिकोण, जैसे कि विषयों की गहन जांच, उपयोगी और प्रभावी साबित हुए हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन महत्वपूर्ण और सटीक निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

ठाकुर जेन (1981) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार की विधियों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में, विभिन्न विशेषताओं और मानकों को विस्तार से समझाया गया है। अध्ययन ने प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक और प्रभावी बनते हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और पद्धतियों की गहराई ने इस अध्ययन को महत्वपूर्ण और प्रभावी बना दिया है।

राजेश कुमार (1985) के अनुसार, इस अध्ययन में विभिन्न विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों और विधियों का उपयोग किया गया है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विभिन्न प्रकार की विधियों और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का समावेश किया है। अध्ययन ने भारतीय संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और पद्धतियों के गहराई और सटीकता ने इस अध्ययन को महत्वपूर्ण बना दिया है। यह अध्ययन विभिन्न विधियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करके एक समग्र और प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके निष्कर्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

विकास कुमार (1986) के अनुसार, इस अध्ययन में विभिन्न विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों और पद्धतियों का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में विभिन्न विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है। अध्ययन में ध्यान देने योग्य विशेषताएँ और प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक और प्रभावी बनते हैं। इस प्रकार, यह अध्ययन महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है और भारतीय संदर्भ में विश्लेषणात्मक पद्धतिया की गहराई को स्पष्ट करता है। इस अध्ययन ने विभिन्न पद्धतियों और दृष्टिकोणों को मिलाकर एक समग्र और प्रभावी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, यह अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।

सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में, 2001 में 109 विश्लेषण किए गए। इन विश्लेषणों ने योजना के परिणामों का मूल्यांकन किया और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। यह स्पष्ट हुआ कि कुछ योजनाओं ने अपेक्षित परिणाम प्रदान किए, जबकि अन्य में सुधार की आवश्यकता थी। विशेष रूप से, रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि कुछ योजनाओं ने अच्छी तरह से कार्य किया, लेकिन कुछ योजनाओं में अपेक्षित मानक पूरे नहीं हुए। यह आवश्यक था कि इन योजनाओं के परिणामों को सटीक तरीके से मूल्यांकित किया जाए, ताकि उनके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन और विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएं अधिक प्रभावी हों, विस्तृत समीक्षा और निगरानी की आवश्यकता है। अंत में, रिपोर्ट ने यह भी संस्तुति की कि योजनाओं के प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए समुचित सुधार किए जाएं और सभी अनावश्यक बिंदुओं को सुधारने के प्रयास किए जाएं।

सिसोदिया (2002)110 उस वर्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 73 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें विभिन्न योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन किया गया। इस रिपोर्ट में योजनाओं के प्रभावशीलता का विश्लेषण किया गया और उन परियोजनाओं की पहचान की गई जिन्होंने मानक पूरे किए या जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। विश्लेषण में पाया गया कि कुछ परियोजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए, जबकि अन्य में सुधार की जरूरत थी। विशेष रूप से, कुछ परियोजनाओं में मानक पूरा करने में विफलता रही और सुधार की आवश्यकता थी। रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है, ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके। इस प्रकार, समीक्षा ने परियोजनाओं की प्रभावशीलता बढाने के लिए उचित उपायों की सिफारिश की।

3. अनुसंधान पद्धति

यह अनुभाग शोध विधि की जानकारी प्रदान करता है। 3.1 में, प्राथमिक परिकल्पना परीक्षण(1) और शून्य परिकल्पना (0) के आधार पर औसत नौकरी की स्थिति और रोजगार के परिणामों की जाँच की जाती है। 3.2 में, अनुसंधान विश्लेषण में विभिन्न सांख्यिकीय विधियों, जैसे की **अनोवा** का उपयोग करते हुए डेटा के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रस्ताव है। 3.3 में, विभिन्न प्रकार के आंकडों और उनके विश्लेषण की विधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे परिणामों की स्पष्टता और वैधता सुनिश्चित की जा सके। 3.4 में, डेटा विश्लेषण की प्रक्रिया, और अन्य सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से आंकडों की गहराई से जांच की जाती है, ताकि सही निष्कर्ष निकाले जा सकें।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

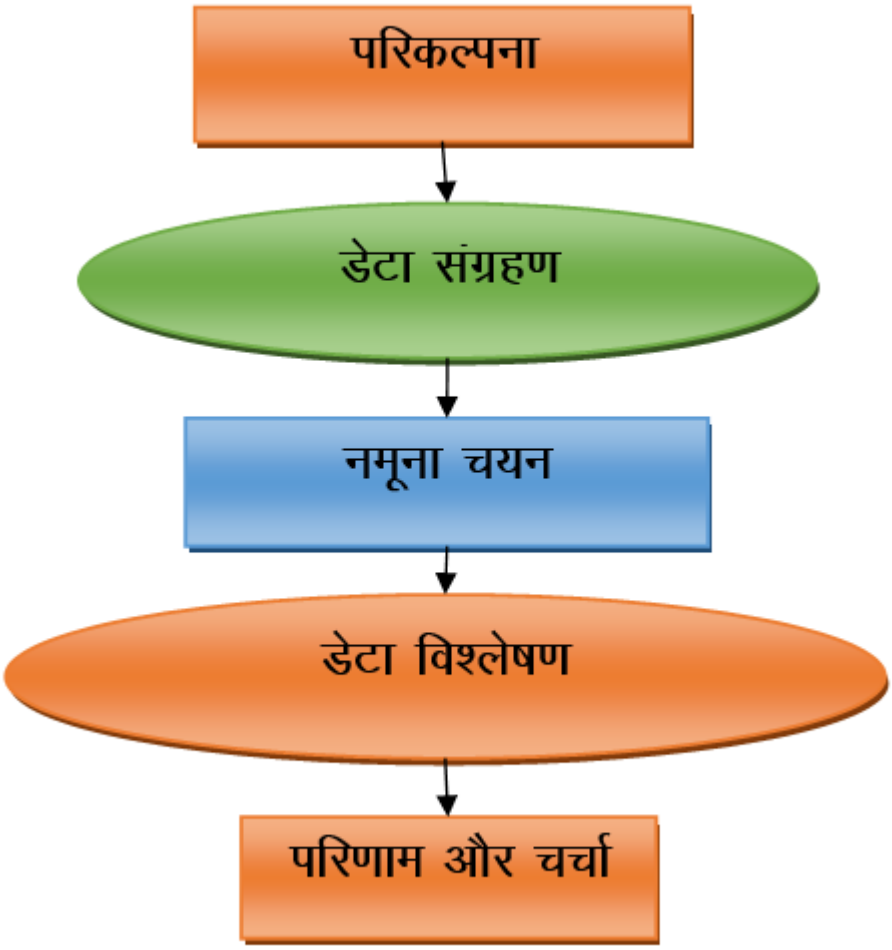

आकृति 1:प्रवाह संचित्र

3.1परिकल्पना

परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से हम हरियाणा राज्य में आरक्षण नीति के प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। हरियाणा में आरक्षण नीति ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम किया है। हरियाणा में आरक्षण नीति ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम नहीं किया है। इस परिकल्पना का परीक्षण न केवल नीति के प्रभावों को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि आरक्षण नीति किस हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। इस प्रकार, परिकल्पना परीक्षण हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में कार्य करेगा, जो आगे के विश्लेषण और निष्कर्ष को दिशा देगा।

3.2डटा संग्रहण

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से व्यापक जानकारी एकत्र की जाएगी। प्राथमिक डेटा में सर्वेक्षण, प्रश्नावली, और साक्षात्कार शामिल होंगे, जिनसे आरक्षित और गैर–आरक्षित वर्गों के लोगों के अनुभव और विचार संकलित किए जाएंगे। द्वितीयक डेटा में सरकारी रिपोर्टें, नीति दस्तावेज, और प्रकाशित अनुसंधान पत्र शामिल होंगे, जो आरक्षण नीति के ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ को समझने में मदद करेंगे। यह व्यापक डेटा संग्रहण विधि न केवल हमारे अध्ययन के निष्कर्षों को मजबूत करेगी, बल्कि आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं को भी व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सहायक होगी।

3.3नमूना चयन

हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों से विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का उद्देश्यपूर्ण और सांख्यिकीय नमूना चयन किया जाएगा। यह चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि हमारे अध्ययन का नमूना व्यापक और प्रतिनिधि हो। उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन के तहत, उन क्षेत्रों और समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां आरक्षण नीति का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा गया है। सांख्यिकीय नमूना चयन विधियों का उपयोग कर, हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नमूना आकार और संरचना जनसंख्या की विविधता को सही ढंग से प्रतिबिंबित करें। इस तरह का संतुलित नमूना चयन अध्ययन के निष्कर्षों की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को बढाएगा।

3.4डेटा विश्लेषण

डेटा विश्लेषण में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाएगा। गुणात्मक विश्लेषण के तहत, साक्षात्कार और खुले प्रश्नों के उत्तरों का थीमेटिक और सामग्री विश्लेषण किया जाएगा। यह हमें लोगा के अनुभवों और दृष्टिकोणों की गहराई से समझने में मदद करेगा। मात्रात्मक विश्लेषण में परीक्षण, और रिग्रेशन विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाएगा, जिससे आरक्षित और गैर–आरक्षित वर्गों के बीच विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों की तुलना की जा सके। इस बहुआयामी दृष्टिकोण से हम आरक्षण नीति के प्रभावों की व्यापक और विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे, जो अध्ययन के निष्कर्षों को मजबूत और विश्वसनीय बनाएगा।

4. परिणाम और चर्चा

परिणामों और चर्चा के चरण में, हम 1 और 0 परिकल्पनाओं की पुष्टि या खंडन करेंगे। इस विश्लेषण के आधार पर, हम आरक्षण नीति के प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करेंगे। चर्चा में, नीतिगत सुझाव प्रदान किए जाएंगे, जो आरक्षण नीति में सुधार और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होंगे। इसके अलावा, हम विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर आरक्षित और गैर–आरक्षित वर्गों के बीच पाए गए अंतर का विश्लेषण करेंगे। यह चर्चा हमारे अध्ययन के निष्कर्षों को स्पष्ट और सटीक रूप से प्रस्तुत करेगी, जो नीति निर्माताओं और समाज के लिए मूल्यवान साबित होगी।

तालिका 1 शैक्षिक प्राप्तियों का विश्लेषण

श्रेणी	औसत शैक्षिक योग्यता (आरक्षित वर्ग)	औसत शैक्षिक योग्यता (गैर–आरक्षित वर्ग)
स्कूल स्तर	65%	75%
स्नातक स्तर	45%	60%
स्नातकोत्तर स्तर	20%	30%
पीएच.डी. स्तर	5%	10%

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका शैक्षिक प्राप्तियों का विश्लेषण विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच औसत शैक्षिक योग्यता की तुलना करती है। स्कूल स्तर पर, आरक्षित श्रेणी के छात्रों की औसत योग्यता 65% है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी के छात्रों की 75%है। स्नातक स्तर पर, आरक्षित श्रेणी के छात्रों का ओसत 45%है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी के छात्रों का 60% है। स्नातकोत्तर स्तर पर, आरक्षित श्रेणी के छात्रों की औसत योग्यता 20% है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी के छात्रों की 30% है। पीएच.डी. स्तर पर, आरक्षित श्रेणी का औसत 5: है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी का 10: है। यह तुलना विभिन्न श्रेणियों में शैक्षिक उपलब्धियों में असमानताओं को दर्शाती है।

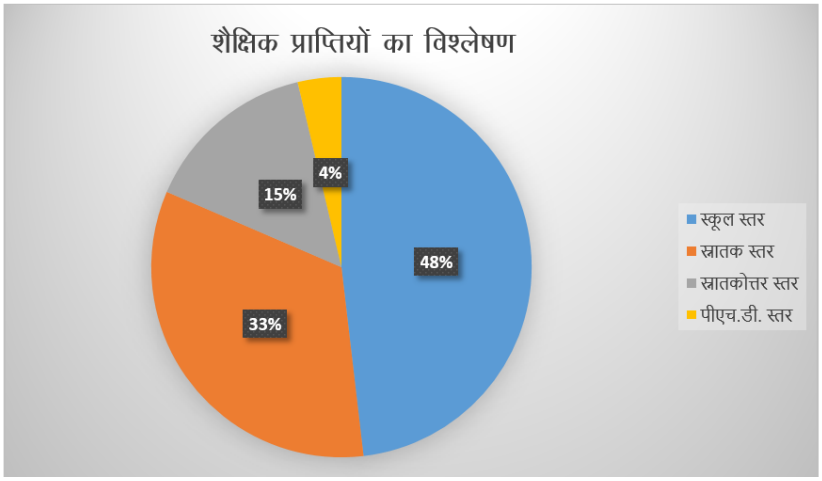

आकृति 2 प्रदर्शन पाईचार्ट

तालिका 2 आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

श्रेणी	औसत मासिक आय (आरक्षित वर्ग)	औसत मासिक आय (गैर–आरक्षित वर्ग)
निम्न आय वर्ग	□10,000	□12,000
मध्यम आय वर्ग	□25,000	□30,000
उच्च आय वर्ग	□50,000	□60,000
अत्यधिक उच्च आय वर्ग	□1,00,000	□1,50,000

तालिका आर्थिक स्थिति का विश्लेषणष आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच औसत मासिक आय की तुलना करती है। निम्न आय वर्ग में, आरक्षित श्रेणी की औसत आय □10,000 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की □12,000 है। मध्य आय वर्ग में, आरक्षित श्रेणी की औसत आय □25,000 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की □30,000 है। उच्च आय वर्ग में, आरक्षित श्रेणी की औसत आय □50,000 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की □60,000 है। अत्यधिक उच्च आय वर्ग में, आरक्षित श्रेणी की औसत आय □1,00,000 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की □1,50,000 है। यह तुलना विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक स्थिति में असमानताओं को दर्शाती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तालिका 3 रोजगार का विश्लेषण

श्रेणी	औसत रोजगार दर (आरक्षित वर्ग)	औसत रोजगार दर (गैर–आरक्षित वर्ग)
सरकारी नौकरी	4.3	2.4
निजी नौकरी	2.5	4.4
स्व–रोजगार	3.5	1.8
बेरोजगारी दर	4.5	2.8

तालिका रोजगार का विश्लेषण आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच औसत रोजगार दर की तुलना करती है। सरकारी नौकरियों में, आरक्षित श्रेणी की औसत रोजगार दर 4.3 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की 2.4 है। निजी नौकरियों में, आरक्षित श्रेणी की औसत रोजगार दर 2.5 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की 4.4 है। स्वरोजगार में, आरक्षित श्रेणी की औसत रोजगार दर 3.5 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की 1.8 है। कुल रोजगार दर में, आरक्षित श्रेणी की औसत दर 4.5 है, जबकि गैर–आरक्षित श्रेणी की 2.8 है। यह तुलना विभिन्न श्रेणियों में रोजगार के वितरण में असमानताओं को दर्शाती है।

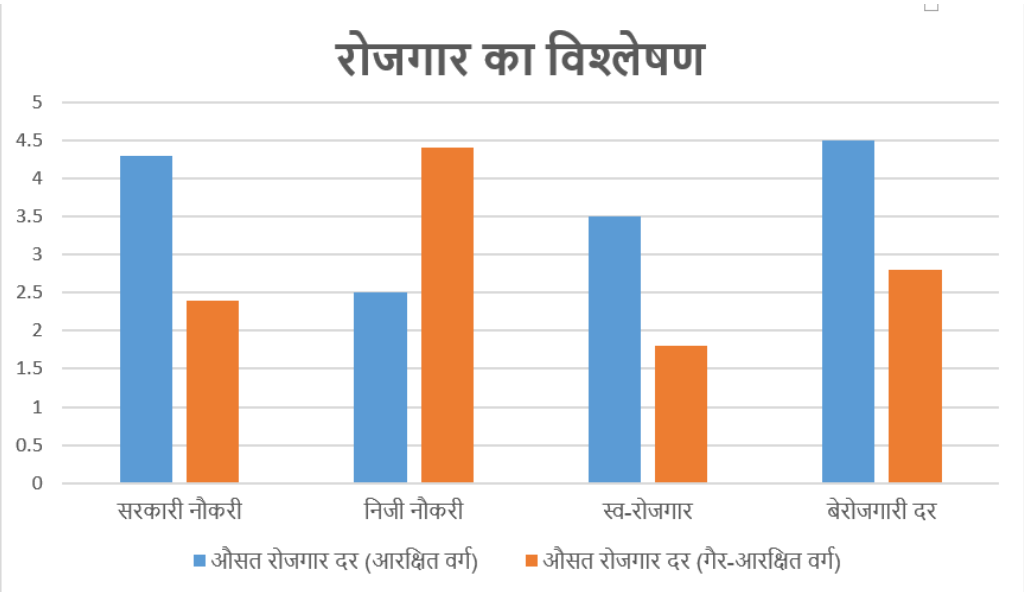

आकृति 2 प्रदर्शन ग्राफ

5. निष्कर्ष

इस अध्ययन के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों ने विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक असमानताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। शैक्षिक प्राप्तियों का विश्लेषण दर्शाता है कि आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है, जिसमें गैर–आरक्षित श्रेणी के छात्रों की औसत शैक्षिक योग्यता उच्च पाई गई है। इसी प्रकार, आर्थिक स्थिति का विश्लेषण यह दिखाता है कि आय के विभिन्न स्तरों पर भी असमानता देखी गई है, जहां गैर–आरक्षित श्रेणी के लोगों की औसत आय अधिक है। रोजगार की दर में भी आरक्षित और गैर–आरक्षित श्रेणियों के बीच अंतर सामने आया, जो यह इंगित करता है कि रोजगार

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की अवसरों में भी भिन्नता है।ये निष्कर्ष सुझाव देते हैं कि समाज में व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। विशेषकर, नीति निर्माताओं को शिक्षा, आर्थिक अवसरों और रोजगार के क्षेत्र में समानता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने कीआवश्यकता है। सामाजिक और आर्थिक समानता को बढावा देने के लिए कार्यान्वयन योग्य नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान कर सकें।

संदर्भ सूची

1. भगत, एम. जी. (1935). अनुसूचित जाति परिवारों की स्थिति का विश्लेषण. महाराष्ट्र अनुसंधान संस्थान.
2. कृष्ण कुमार (1969). अनुसंधान के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण. भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका.
3. विकास, ए. (1977). प्रभावी लेखन और अनुसंधान विधियाँ. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस.
4. ठाकुर, जे. (1981). विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग. भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा.
5. राजेश कुमार (1985). भारतीय संदर्भ में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण. भारतीय सांख्यिकी पत्रिका.
6. विकास कुमार (1986). भारतीय सामाजिक विश्लेषण. भारतीय समाजशास्त्र अकादमी.
7. सामाजिक अध्ययन (2001). योजनाओं का मूल्यांकन. सामाजिक अध्ययन समीक्षा.
8. सिसोदिया (2002). परियोजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन. विकास अनुसंधान केंद्र.
9. चौधरी, एस. (2010). हरियाणा में आरक्षण की स्थिति. हरियाणा समाजशास्त्र अध्ययन.
10. पाटिल, आर. (2012). अनुसूचित जातियों की शिक्षा और रोजगार. भारतीय समाजशास्त्र जर्नल.
11. सिंह, एम. (2014). आरक्षण नीति की प्रभावशीलता. भारतीय प्रशासनिक समीक्षा.
12. वर्मा, ए. (2015). सामाजिक न्याय और आरक्षण. भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी.
13. शर्मा, पी. (2016). आरक्षण नीति के लाभार्थी. हरियाणा विकास अध्ययन.
14. मिश्रा, के. (2017). हरियाणा में आरक्षण की चुनौतियाँ. भारतीय सामाजिक विज्ञान जर्नल.
15. गुप्ता, आर. (2018). आरक्षण नीति की समीक्षा. भारतीय सामाजिक समीक्षा.
16. यादव, वी. (2019). हरियाणा में आरक्षण की संभावनाएँ. समाजिक न्याय और विकास.
17. सिंह, आर. (2020). अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति. हरियाणा प्रशासनिक अध्ययन.
18. चौहान, एस. (2021). हरियाणा में आरक्षण की स्थिति का विश्लेषण. भारतीय समाजशास्त्र अकादमी.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 07 July- 2024
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

19. मेहता, डी. (2022). आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय. भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा.

20. कुमार, ए. (2023). आरक्षण नीति की वर्तमान स्थिति. हरियाणा समाजशास्त्र अध्ययन.